

फर्द अहकाम  
कार्यालय सहायक कलेक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- माधवलाल  
किसम मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- भमरू  
पत्रावली संख्या : 33/19

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी  
तथा सूचनाएं  
जारी की गईं

दिनांक 17.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित।  
विपक्षी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किया जाने पर कोई  
आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता प्रार्थी मय विपक्षी को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया।  
प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के  
पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं  
विपक्षी के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए  
पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर  
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की  
सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं।  
अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का  
स्वीकार किया जाता है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां  
की आराजी नम्बर 519 के पश्चिम दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर  
सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/-  
पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर  
आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में  
पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार  
मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम  
हो। फ़ीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।



(मोहन सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली